

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 24.06.2025

राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत उप निर्वाचन 2025 के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में विभिन्न कारणों से रिक्त सभी पदों हेतु 09.07.2025 को मतदान तथा दिनांक 11.07.2025 को मतगणना सम्पन्न कराये जायेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार उतरदायित्वपूर्ण व सहभागिता के साथ शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दौरान कुल छः पदों हेतु पदवार कुल 2897 निर्देशन पत्र/नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें पुरुष 1445 एवं महिला 1452 अभ्यर्थी शामिल थे।

नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए अंतिम तिथि 23.06.2025 निर्धारित की गयी थी। नामांकन पत्रों की संवीक्षोपरांत पदवार प्राप्त नाम निर्देशन/नामांकन पत्रों की विवरणी निम्नवत् है:-


क्र.सं.	पदवार विवरण	पदवार प्राप्त नामांकन पत्रों की संख्या	संवीक्षात्मक नामांकन पत्रों की संख्या	
			स्वीकृत	अस्वीकृत
1.	जिला परिषद सदस्य	36	36	0
2.	ग्राम पंचायत मुखिया	351	340	11
3.	ग्राम कचहरी सरपंच	298	281	17
4.	पंचायत समिति सदस्य	220	216	04
5.	ग्राम पंचायत सदस्य	1001	975	26
6.	ग्राम कचहरी पंच	991	959	32
कुल		2897	2807	90

- अभ्यर्थिता वापसी की प्रक्रिया दिनांक 24.06.2025 से 25.06.2025 तक (11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक) निर्धारित की गई है।
- अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन की तिथि 26.06.2025 निर्धारित की गई है।
- आदर्श आचार संहिता: पंचायत उप निर्वाचन 2025 से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गये हैं, जो मतगणना के पश्चात विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक लागू रहेंगे।
- आयोग की वेबसाइट पर निर्वाचन से संबंधित दिशा-निर्देश उपलब्ध: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अवसर पर निर्गत दिशा-निर्देशों और निर्वाचन प्रक्रिया के मानकों के अनुसार ही पंचायत उप निर्वाचन 2025 भी सम्पन्न कराया जायेगा। निर्वाचन संबंधित सभी अद्यतन दिशा- निर्देश आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
- अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन सुविधा: कोई भी अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

52

24.6.25

- मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा: कोई भी मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचक सूची में अपना नाम, मतदान केन्द्र का पता, मतदान का कार्यक्रम एवं अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर की सेवा: इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नंबर- **1800-3457-243** पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


संयुक्त निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार